समक्ष ए. बी. चौधरी और इंद्रजीत सिंह, जे. जे.

अनमोल सिंह नायर-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य- प्रतिवादीगण

2017 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 892

26 फरवरी, 2018

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226,233 (2)-हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2007-आर. एल. 6 (1) (सी)-उच्च न्यायिक सेवा-अधिवक्ताओं से सीधी भर्ती-याचिकाकर्ता, न्यायिक अधिकारी पर हमला न्यायिक अधिकारियों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए जारी शुद्धिपत्र-आयोजित, सेवा में उम्मीदवार भाग ले सकते हैं-नियुक्ति के समय देखी जाने वाली पात्रता, आवेदन की अंतिम तिथि नहीं-खारिज कर दी गई।

विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) के मामले को इस दलील पर अलग करने का प्रयास किया गया कि वे जिला न्यायाधीश (बार से प्रत्यक्ष) के पद के लिए आवेदन दायर करने की अंतिम तिथि पर अधिवक्ता थे, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 से 14 न्यायपालिका के सदस्य रहे हैं।कारण यह है कि उक्त पद के लिए साक्षात्कार की घटना/तिथि/चयन/नियुक्ति की तारीख पर, विजय कुमार मिश्रा और अन्य अधिवक्ता नहीं थे, बल्कि अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्य थे; लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी।जो महत्वपूर्ण या सर्वोपरि है वह नियुक्ति की तारीख की स्थिति है न कि आवेदन की अंतिम तिथि।यही कारण है कि अनुच्छेद 233 के खंड (2) में मुख्य शब्द "नियुक्ति" की व्याख्या पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है।(मूल पर जोर दें) (पैरा 23)

मनोहर लाल, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

नवीन गुप्ता, प्रतिवादी नं. 1 के लिए अधिवक्ता

ए. बी. चौधरी, जे.

(1) वर्तमान याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किए गए शुद्धिपत्र दिनांक 17.08.2016 (अनुलग्नक पी-3) और दिनांक 24.12.2016 (अनुलग्नक पी-4) को चुनौती दी है।

4), जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 से 14, न्यायपालिका हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में सेवारत उम्मीदवारों को हरियाणा अति न्यायिक सेवा की लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी और उन्हें अधिवक्ताओं का अभ्यास करने के लिए उक्त सेवा में सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

तथ्यः

(2) याचिकाकर्ता भिवानी में सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं।उन्हें 25.01.2007 पर नियुक्त किया गया था और शुरू में पंचकूला में काम करने के लिए तैनात किया गया था जहाँ वे 27.01.2007 पर शामिल हुए थे।उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी की और 08.03.2011 से उनकी पुष्टि हुई। दिनांक 16-07-2015 को प्रतिवादी संख्या 1 ने हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 6 (1) (सी) के तहत प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से योग्य अधिवक्ताओं में से 25 प्रतिशत की सीधी भर्ती द्वारा से हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के 10 पदों पर चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की।अधिसूचना में खंड 2 (बी) द्वारा पात्रता प्रदान की गई थी कि उम्मीदवार को विधिवत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जाना चाहिए था और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर कम से कम 7 साल की अवधि के लिए अभ्यास करना चाहिए था।प्रतिवादी संख्या 3 से 14 न्यायिक सेवा में हैं जिन्होंने उक्त अधिसूचना/विज्ञापन दिनांक 16.07.2015 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आवेदन

किया था।वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर बार के सदस्य नहीं थे। न्यायपालिका में उनकी प्रारंभिक नियुक्तियां वर्ष 2006 से 2013 तक की हैं।इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 3 का शुद्धिपत्र जारी किया, जिसके तहत 2016 की सिविल अपील 1 में सर्वोच्च न्यायालय के 'विजय कुमार मिश्रा और एक अन्य बनाम पटना में उच्च न्यायालय और अन्य' शीर्षक वाले फैसले के आलोक में हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए प्रतिवादी संख्या 3 से 14 को पात्र माना गया।उक्त निर्णय के तथ्य पूरी तरह से अलग थे क्योंकि उक्त निर्णय में उम्मीदवार आवेदन जमा करने के समय और लिखित परीक्षा में भाग लेने के समय बार के सदस्य थे और उसके बाद ही वे न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे।निजी प्रतिवादी संख्या 3 से 14 को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी जो 10.02.2017 से 12.02.2017 तक आयोजित की गई थी।आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर उनमें से कोई भी बार का सदस्य नहीं था; अर्थात्, 31.08.2015।इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 से 14 तक उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए भी अयोग्य थे और परिणामस्वरूप उन पर विचार नहीं किया जा सकता था और न ही उन्हें चयन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती थी।438 में प्रतिवादी संख्या 3 से 14 तक वरिष्ठता का आदेश, याचिकाकर्ता से कनिष्ठ हैं और यदि उनका चयन किया जाता है और उन्हें हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें स्पष्ट रूप से वरिष्ठता में याचिकाकर्ता से ऊपर रखा जाएगा जो उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त तारीख 17.08.2016 के शुद्धिपत्र को चुनौती दी है।

(3) इस न्यायालय ने एक बोलने का आदेश देकर 06.02.2017 पर प्रस्ताव का नोटिस जारी किया था और पंजीयक (भर्ती) को संपूर्ण प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। 07.02.2017 को, इस न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 से 14 को वर्तमान रिट याचिका के निर्णय के अधीन लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गई जो 10.02.2017 से 12.02.2017 तक आयोजित की जानी थी और इसका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा।

(4) प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित बयान दायर किया जिसे 09.03.2017 पर रिकॉर्ड में लिया गया था।इसके बाद, 26.07.2017 को पंजीयक (भर्ती) ने एक लिफाफा प्रस्तुत

किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 से 14 का परिणाम था।इस न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 8 और 13 को छोड़कर कोई भी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ था, जिन्होंने इसे पास किया था।नतीजतन, इस न्यायालय ने उत्तरदाता संख्या 3 से 7,9 से 12 और 14 को प्रतिवादी की श्रृंखला से हटा दिया और उत्तरदाता संख्या 8 और 13 को उत्तरदाता संख्या 3 और 4 के रूप में फिर से दर्ज करने का आदेश दिया और फिर परिणाम को वर्तमान याचिका के परिणाम के अधीन कर दिया।

(5) प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना लिखित बयान दायर किया और विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर इस प्रस्ताव के लिए भरोसा व्यक्त किया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 233 (2) केवल जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है, यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में है, लेकिन यह उस व्यक्ति की उम्मीदवारी पर विचार करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है जो संघ या राज्य की सेवा में है और यह कि ऐसे व्यक्ति के पास अभी भी एक विकल्प होगा, यदि वह चुना जाता है, तो उच्च न्यायिक सेवा में सेवा में शामिल होने या मौजूदा रोजगार में बने रहने के लिए।आपत्ति यह है कि याचिका अपरिपक्व है क्योंकि स्वयं याचिकाकर्ता के अनुसार, यदि चयनित और नियुक्त किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 से 14 उससे वरिष्ठ हो जाएंगे और इसलिए, उन्हें इस न्यायालय के समक्ष याचिका को बनाए रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध है।

तर्कः

(6) रिट याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

(i) विजय कुमार मिश्रा (उपर्युक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित शुद्धिपत्र जारी करने के लिए समिति द्वारा भरोसा किए गए निर्णय का तथ्यों के साथ-साथ कानून में भी कोई अनुप्रयोग नहीं है और इसलिए, विवादित जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर निर्भरता कानूनी रूप से सही नहीं है।

(ii) प्रतिवादी संख्या 3 से 14 न्यायिक सेवा में हैं, वे वर्ष 2006 से 2013 तक अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक सेवा में शामिल हुए हैं।वे बार के सदस्य नहीं थे जैसा कि

विज्ञापन के साथ-साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि पर भी नियमों के अनुसार आवश्यकता है।

(iii) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापित 10 पद केवल आवेदन की तारीख से पहले 7 साल तक बार में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के लिए हैं और किसी अन्य व्यक्ति को चयन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 से 14 शामिल हैं।

(iv) विचाराधीन शुद्धिपत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के साथ पठित अनुच्छेद 233 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों के नियम 5,6 (1) (सी) और 11 का उल्लंघन है।विवादित कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (2) और सत्य नारायण सिंह बनाम इलाहाबाद में उच्च न्यायालय और अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 225 और मामले में अन्य निर्णय दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक और अन्य, के मामले में फैसले के संदर्भ में भी विपरीत है। 2013 की सिविल अपील No.561 (2010 के SLP (C) No.17463 से उत्पन्न, 21.01.2013 पर निर्णय लिया गया, याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने के लिए वाद हेतुक है क्योंकि उसकी वरिष्ठता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी यदि प्रतिवादी संख्या 3 से 14 में से किसी को नियुक्ति के बाद चुना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को याचिकाकर्ता से ऊपर रखा जाएगा, जिससे याचिकाकर्ता को उसके सेवा जीवन में अपूरणीय नुकसान होगा।

(v) सत्य नारायण सिंह और दीपक अग्रवाल (ऊपर) के मामलों में निर्णय, वास्तव में, विजय कुमार मिश्रा (ऊपर) के मामले में निर्णय के बजाय वर्तमान मामले में लागू होते हैं, क्योंकि विजय कुमार मिश्रा (ऊपर) के मामले में मामले के तथ्यों में, याचिकाकर्ताओं-विजय कुमार मिश्रा और अन्य द्वारा पहले ही आवेदन किए जा चुके थे।

कट ऑफ डेट 05.02.2015 से पहले और इस बीच उन याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया और अगस्त, 2016 में बिहार राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया और वे अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्य थे। तथ्य यह है कि जब उन्होंने आवेदन किया था अधिवक्ता थे, हालांकि अंततः में चुने गए थे वरिष्ठ न्यायिक सेवा के लिए1 इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, तथ्यों में अंतर किया जा सकता है।

(7) इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इसलिए, चयन की पूरी प्रक्रिया और 17.08.2016 दिनांकित शुद्धिपत्र को रद्द करके याचिका को अनुमति देने की आवश्यकता है।

(8) इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका पर मुकदमा चलाने का कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि उसने विचाराधीन पद के लिए आवेदन नहीं किया था और न ही उसका कोई कानूनी अधिकार प्रभावित होगा।इसलिए, उक्त प्रारंभिक आपत्ति पर याचिका को खारिज करने की आवश्यकता है।गुण-दोष पर, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन शुद्धिपत्र विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को लागू करने के लिए जारी किया गया था और प्रतिवादी संख्या 1 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्णय को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध था।सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार करता है और वे निर्णय अलग-अलग हैं।इसलिए उन्होंने कहा कि याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है और तदनुसार खारिज किया जा सकता है।

विचार :-

(9) हमने प्रतिद्वंद्वी दलों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और पूरा रिकॉर्ड देखा है।नियमों के नियम 5,6 (1) (सी) और 11 इस प्रकार हैं:-

"5. सेवा में भर्ती राज्यपाल द्वारा की जाएगी, -

(i) उच्च न्यायालय के परामर्श से हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के बीच से पदोन्नति द्वारा; और (ii) उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर योग्य अधिवक्ताओं के बीच से सीधी भर्ती द्वारा।" "6.(1) सेवा में भर्ती की जाएगीः

एक्स एक्स एक्स

एक्स एक्स एक्स

एक्स एक्स एक्स

(ग) 25 प्रतिशत पदों को उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।"

"11. प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए योग्यता इस प्रकार होगीः

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए;

(ख) विधिवत रूप से एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित होना चाहिए और कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए वकालत की होनी चाहिए;

(ग) पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त की होनी चाहिए और उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की होनी चाहिए जिसमें भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।"

(10) विज्ञापन/अधिसूचना से संबंधित भाग दिनांकित 16.07.2015 इस प्रकार हैः-

"2. निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति पंजीयक (भर्ती), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में आवेदन कर सकता हैः-

(क) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

(बी) वह विधिवत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित होना चाहिए और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 31.08.2015 पर कम से कम सात साल की अवधि के लिए व्यवहार में होना चाहिए।

(बीबी) आवेदन की तारीख से पहले कम से कम तीन निर्धारण वर्षों के लिए एक आयकर निर्धारिती होना चाहिए, जिसकी सकल व्यावसायिक आय प्रति वर्ष पांच लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।आवेदक को अपने स्वतंत्र जुड़ाव और पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कम से कम पचास मामलों (समूह मामलों को छोड़कर) के संचालन का प्रमाण भी संलग्न करना होगा।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों के मामले में सकल व्यावसायिक आय प्रति वर्ष तीन लाख रुपये से कम नहीं होगी।

और स्वतंत्र संलिप्तता और मामलों के संचालन की शर्त पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष चालीस मामले (समूह मामलों को छोड़कर) होंगे।

(ग) उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त की होनी चाहिए और उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की होनी चाहिए जिसमें भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।"

(11) 17.08.2016 दिनांकित शुद्धिपत्र नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय, चंडीगढ़"

शुद्धिपत्र-हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा की मुख्य लिखित परीक्षा और आवेदनों को स्थगित करना।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2016 की सिविल अपील न.7358 में पारित हाल के निर्णय दिनांक 09.08.2016 में 'वियव कुमार मिश्रा और एक अन्य बनाम पटना में उच्च न्यायालय और अन्य' शीर्षक से कहा कि 'सेवा में' उम्मीदवारों को उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा की चयन प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, आय और मामलों की संख्या के संबंध में पात्रता मानदंड, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है।वे सभी जिन्होंने आवेदन किया था और पात्र DE-HOR की आय और मामलों की संख्या मानदंड थे, उन्हें नियमों के तहत हर तरह से अपनी पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर मुख्य लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है।

माननीय उच्च न्यायाधीशालय ने न्यायाधीश के हित में उन सभी उम्मीदवारों को नया मौका देने का फैसला किया है जो अधिसूचना No.92 Gaz.I/V1 के अनुसार 31.08.2016 पर सभी मामलों में पात्र हैं।एफ. 2 दिनांकित 16.07.2015 और शुद्धिपत्र दिनांकित 19.02.2016।वे हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा की भर्ती प्रक्रिया में अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि नियमों के तहत हर तरह

से उनकी पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।किसी भी स्तर पर उच्च न्यायालय की संतुष्टि के लिए अपनी पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करने में आवेदक की विफलता के कारण बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

जिन उम्मीदवारों ने अधिसूचना No.92 Gaz.I/V1 के अनुसरण में आवेदन किया था। एफ. 2 दिनांकित 16.07.2015 और शुद्धिपत्र दिनांकित 19.02.2016 और प्रवेश पत्र भी जारी किए गए हैं, नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

नए आवेदकों का आवेदन क्रमशः उपरोक्त अधिसूचना और दिनांक 16.07.2015 और 19.02.2016 के शुद्धिपत्र के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर शाम 4 बजे तक या उससे पहले कुलसचिव (भर्ती) के कार्यालय में पहुंचना चाहिए।उपरोक्त अधिसूचना और शुद्धिपत्र इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से ही लिंक के तहत उपलब्ध हैं अर्थातः//उच्च न्यायालय।गव.में।अधिसूचना संख्या 92 GAZ.I/VI.F.2 दिनांकित 16.07.2015 और शुद्धिपत्र दिनांकित 19.02.2016 के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

नतीजतन, हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के लिए 26.08.2016 से 28.08.2016 तक आयोजित होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है।"

(12) प्रतिवादी संख्या 1 के वकील द्वारा वर्तमान याचिका को बनाए रखने के लिए स्थान या याचिकाकर्ता के कानूनी अधिस्थिति के बारे में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को पूरी तरह से खारिज करना होगा क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी वरिष्ठता प्रभावित होगी यदि वर्तमान संवर्ग में उससे कनिष्ठ प्रतिवादी संख्या 3 से 14 में से किसी का चयन किया जाता है और प्रश्नगत पदों पर नियुक्त किया जाता है।प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा याचिका में उक्त कथन का कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है कि उस स्थिति में याचिकाकर्ता की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।इसलिए प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है।

(13) विवादित शुद्धिपत्र को पढ़ने से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले पर भरोसा किया है, जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'सेवा में' उम्मीदवारों को उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा की चयन प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं किया जा

सकता है।जहाँ तक आय और मामलों की संख्या के संबंध में पात्रता मानदंड का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 1 ने पाया कि इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।यही कारण है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने एक खंड जोड़ा कि चयन की पूरी प्रक्रिया को "अनंतिम" माना जाएगा और उम्मीदवारों को नियमों के तहत सभी मामलों में उनकी पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर उपस्थित होने की अनुमति दी जा रही थी।यह उस दृष्टिकोण से है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आगे की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

(14) विचार के लिए जो कानूनी सवाल उठता है वह यह है कि क्या न्यायपालिका में सेवा में बैठे उम्मीदवार जो बार के सदस्य नहीं हैं, उन्हें हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के लिए भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में तथ्य यह था कि अधिवक्ता विजय कुमार मिश्रा और एक अन्य ने 2015 के विज्ञापन संख्या 1 के जवाब में 99 रिक्तियों के संबंध में सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया था।वे उक्त विज्ञापन के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के साथ-साथ मुख्य परीक्षा में भी उपस्थित हुए थे।इस बीच, याचिकाकर्ता 28 वें बैच में बिहार राज्य में अधीनस्थ न्यायिक सेवा के लिए योग्य हो गए।तदनुसार, वे अगस्त, 2015 में सेवा में शामिल हुए।इसके बाद, 22.01.2016 पर, जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर (बार से प्रत्यक्ष) की मुख्य परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया क्योंकि उन्होंने मुख्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त की थी।

(15) उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता-विजय कुमार मिश्रा और एक अन्य बार के सदस्य नहीं थे क्योंकि उन्होंने अगस्त, 2015 में अधीनस्थ न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था।यह भी स्पष्ट है कि जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर (बार से प्रत्यक्ष) का परिणाम 22.01.2016 पर प्रकाशित किया गया था, यानी लगभग 5 महीने के बाद, जिस तारीख को वे बार के सदस्य नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह नहीं था कि आवेदन की अंतिम तिथि पर वे बार के सदस्य थे या नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जिस प्रश्न का अंततः उत्तर दिया गया था, वह यह था कि क्या न्यायपालिका में सेवा में उम्मीदवारों को चयन के उद्देश्य से भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि आवेदन की तारीख पर वे बार के सदस्य नहीं थे। विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी, यदि उन्होंने अधीनस्थ न्यायिक सेवा से तुरंत इस्तीफा

दे दिया, जिसमें वे अगस्त, 2015 में शामिल हुए थे, जाहिर है, इस कारण से कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के तहत कथित प्रतिबंध को देखते हुए जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर (बार से प्रत्यक्ष) परीक्षा, 2015 के संबंध में साक्षात्कार की तारीख तक न्यायिक सेवा के सदस्य थे। पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्षात्कार की तारीख से पहले, याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 233 के खंड (2) के संदर्भ में न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे, इस प्रकार, उन्हें जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर के पद पर चयन की प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। संभवतः उच्च न्यायालय ने पाया कि वे अब बार के सदस्य नहीं थे। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा।

(16) हमने विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में उक्त निर्णय को सावधानीपूर्वक देखा है।उक्त निर्णय के अनुपात का पता लगाने के लिए उक्त निर्णय के पैराग्राफ 6,7 और 8 को उद्धृत करना उचित होगा।वही पढ़ा जाता है, इस प्रकारः-

“6. अनुच्छेद 233 (1) 2 में कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।हालांकि, अनुच्छेद 233 (2) घोषणा करता है कि केवल एक व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, वह जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा।उक्त लेख को नकारात्मक भाषा में लिखा गया है जिससे उसमें वर्णित व्यक्तियों के कुछ वर्ग की नियुक्ति के लिए एक बाधा पैदा होती है।यह किसी भी योग्यता को निर्धारित नहीं करता है।यह केवल अयोग्यता निर्धारित करता है।

7. सेवा कानून में यह अच्छी तरह से तय है कि चयन और नियुक्ति के बीच अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य के तहत कुछ पदों को भरने के उद्देश्य से राज्य द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में सफल होता है, उसे स्वचालित रूप से नियुक्त होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।शाब्दिक रूप से, अनुच्छेद 233 (2) केवल उस व्यक्ति की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के चयन को नहीं।ऐसे व्यक्ति का लोक सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए राज्य द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार (आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि

जैसी चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता के संबंध में अन्य तर्कसंगत निर्देशों के अधीन) और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत है।”

8. अनुच्छेद 233 (2) का पाठ केवल जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है, यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में है।यह संघ या राज्य की सेवा में रहने वाले व्यक्ति की उम्मीदवारी पर विचार करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।एक व्यक्ति जो संघ या राज्य में से किसी एक की सेवा में है, उसके पास अभी भी विकल्प होगा, यदि जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा में शामिल होने या अपने मौजूदा रोजगार को जारी रखने के लिए चुना जाता है।जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से भी किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना, हमारी राय में, अनुच्छेद 233 (2) द्वारा अनुमत नहीं है।

और ना ही संविधान की योजना के तहत विचार किया गया क्योंकि यह किसी भी संवैधानिक रूप से वांछनीय उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा।”

(17) उच्चतम न्यायालय द्वारा अतिरिक्त कारण दिए गए थे और हमारे लिए उन्हें यहाँ उद्धृत करना उचित होगाः-

“3) इस अपील में विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (2) का वास्तविक उद्देश्य, उद्देश्य और दायरा क्या है और विशेष रूप से, अनुच्छेद में आने वाले शब्द "जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य" क्या हैं?”

“8) अनुच्छेद 233 के खंड (2) को पढ़ने से पता चलता है कि जिला न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की "पात्रता" को उसकी नियुक्ति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।इस प्रकार, किसी व्यक्ति की पात्रता कि वह संघ या राज्य की सेवा में है या नहीं, इस पद के लिए उसकी नियुक्ति के समय देखी जानी चाहिए न कि उससे पहले।”

“9) प्रतिवादी (उच्च न्यायालय) की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार ने हालांकि तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 233 (2) में आने वाले "नियुक्त"

शब्द में आवश्यक रूप से संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन जमा करने की तारीख से लेकर उनकी नियुक्ति की तारीख तक की पूरी चयन प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए।उनका यह निवेदन था कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति 15 पृष्ठ 16 की तारीख को संघ या राज्य की सेवा में पाया जाता है, जब उसने आवेदन किया है, तो ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 233 के खंड (2) में निर्धारित अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा और वह न तो आवेदन करने का पात्र होगा और न ही जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा।"

"11) मेरे विचार में, सेवा न्यायशास्त्र में "चयन" और "नियुक्ति" शब्दों के बीच एक सूक्ष्म अंतर है।(देखिए:प्रफुल्ल कुमार स्वैन बनाम प्रकाश चंद्र मिश्रा और अन्य, (1993) सप। (3) एससीसी 181)।जब संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 233 के खंड (2) में "नियुक्त" शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया है, जिसकी सेवा के संदर्भ में 16 पृष्ठ 17 है, तो उसके स्थान पर "चयन" या "भर्ती" शब्द को पढ़ना संभव नहीं है।दूसरे शब्दों में, "नियुक्त" शब्द को "चयन", "भर्ती" या "भर्ती प्रक्रिया" शब्द को शामिल करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है।"

"12) मेरी राय में, किसी व्यक्ति के लिए जिला न्यायधीश के पद के लिए आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है।

यदि वह अन्यथा, संघ/राज्य की सेवा में रहते हुए पद के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता है।उनकी नियुक्ति के समय ही (यदि ऐसा अवसर आता है) उनकी पात्रता का सवाल उठता है।ऐसे व्यक्ति को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन करने से इनकार करना, जब वह अन्यथा अनुच्छेद 233 के खंड (2) का सहारा लेकर विज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है, मेरी राय में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत उसके अधिकार का उल्लंघन होगा।"

(18) शीर्ष न्यायालय द्वारा ऊपर दिए गए कारणों से यह स्पष्ट है कि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 233 के खंड (2) का अर्थ यह है कि न्यायिक सेवा में किसी व्यक्ति की पात्रता को उसकी नियुक्ति के समय देखा जाना आवश्यक है न कि उससे पहले।

(19) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई अगली दलील कि सत्य नारायण सिंह और दीपक अग्रवाल (ऊपर) के मामलों में निर्णयों में विजय कुमार मिश्रा (ऊपर) के मामले में निर्णय के बजाय एक आवेदन होगा, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों निर्णयों पर विजय कुमार मिश्रा (ऊपर) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और विशेष रूप से अलग किया गया है।इसलिए, यह दलील कि सत्य नारायण सिंह और दीपक अग्रवाल (उपरोक्त) के मामलों में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों द्वारा दिए गए थे, हमें प्रभावित नहीं करती है।हम पैरा-12 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्पष्ट राय के विपरीत अपने दम पर किसी अन्य कारण का पता नहीं लगा सकते हैं जो जोर देने के लिए इस प्रकार है 1

(12) मेरी राय में, किसी व्यक्ति के लिए जिला न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है, यदि वह अन्यथा, संघ/राज्य की सेवा में रहते हुए पद के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता है।उनकी नियुक्ति के समय ही (यदि ऐसा अवसर आता है) उनकी पात्रता का सवाल उठता है।ऐसे व्यक्ति को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन करने से इनकार करना, जब वह अन्यथा अनुच्छेद 233 के खंड (2) का सहारा लेकर विज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है, मेरी राय में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत उसके अधिकार का उल्लंघन होगा।"

(20) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया अगला सवाल यह है कि विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में, याचिकाकर्ताओं ने जिला न्यायधीश पद के लिए (बार से प्रत्यक्ष) आवेदन किया था जब वे अधिवक्ता थे, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 से 14 जब अधिवक्ता नहीं थे आवेदन करने की तिथि के समय 1 हम सोचते हैं कि समर्पण कमजोर है1 विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) केस के पुनरावृति में भी, याचिकाकर्ताओं ने पहले ही अगस्त 2015 में प्रवेश कर लिया अधीनस्थ न्यायिक सेवा में, और इसलिए साक्षात्कार की तिथि को वो अधिवक्ता या बार के सदस्य नहीं थे 1 किसी भी सूरत में उच्च न्यायालय द्वारा एक बड़ा प्रश्न का फैसला किया गया जो ऐसी परिस्थित पर निर्भर नहीं करता जो कि सभी संविधान के अनुच्छेद-233(2) के अंतर्गत आता हो 1 विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) के केस में इस आशय के साथ कि वे (बार से

प्रत्यक्ष) जिला न्यायधीश के पद के लिए आवेदन करते समय अधिवक्ता थे, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 से 14 का न्यायिक सदस्य होना गलत है l कारण यह है कि विजय कुमार मिश्रा व अन्य उस पद के लिए साक्षात्कार / चयन / नियुक्ति के समय अधिवक्ता नहीं थे लेकिन अधीनस्थ न्याय पालिका के सदस्य थे l लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय ने उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दे दी थी l महत्त्वपूर्ण व सर्वोपरी नियुक्ति की तिथि से है, आवेदन की अंतिम तिथि नहीं l यही कारण है कि अनुच्छेद 233 के खंड 2 में उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार शब्द "नियुक्ति" की व्याख्या की गयी है l

(21) यह कहना कि हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा के नियम का उलंघन हुआ है और विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) केस को ध्यान में रखते हुए भी रद्द किया जायेगा l

(22) इस परिणाम में, उपरोक्त याचिका में कहीं भी कोई गुण नहीं पाया गया l इसलिए हम निम्नलिखित आदेश फरमाते हैं:-

आदेश :-

(23) 2017 की दीवानी रित याचिका खारिज की जाती है l

सुब्रीत कौर

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

महीपाल
3D1604
ट्रांसलेटर